न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 17/2016

उनवान

1. पून्या पुत्र बंशी जाती मीना, निवासीयान ग्राम मैनपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

–वादी

बनाम

1. श्रीमति हरबाई पत्नि चिरंजी लाल 2. चिरंजी पुत्र हरभजन 3.हरभजन पुत्र भोरया समस्त जातियान मीना निवासी मैनपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा एवुं दुरूस्त इन्द्राज राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड

अभिभाषक :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश जांगिड वकील वादी
2. श्री हरकेश मीना वकील प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांकः–16.04.2018**

वादी द्वारा एक दावा बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्त इन्द्राज राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड बाबत् पेश किया जिसमें वाद पत्र के मद नं0 1. के अनुसार वादी एवम प्रतिवादीगण एक ही गांव मैनपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 2.के अनुसार वादी की कब्जे काश्त एवम खातेदार की आराजी खं0नं0 1890 रकबा 0.1700 ऐयर चाही 3 पर वादी के बुजुर्गान के समय से ही लगातार आज दिन तक कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस समय भी वादी का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई लेना देना व वास्ता नही रहा हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक की पेश की है। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 3. के अनुसार प्रतिवादीगण ने पता नहीं बराय चालाकी से तहसीलदार व पटवारी से मिलकर वादी की आराजी को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अपने खातेदारी में नियम विरूद्ध दर्ज कराकर लगवा ली है, जबकि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त एवं किसी प्रकार से कोई वास्ता नहीं है। नकल जमाबन्दी संवत

रकबा 0.39 है0 चाही 3 की आराजी पता नहीं कैसे रेवन्यू विभाग व सेटलमेन्ट की गलती से उक्त आराजीयात में वादी की 1/2 हिस्से की आराजी का गलती से वादी के नाम 1/2 हिस्सा का गलत इन्द्राज कर दिया है। परन्तु वादी का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है औ ना ही कोई वास्ता रहा है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.3900 है0 पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का ही कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के ही बुजुर्गानो के समय से ही चला आ रहा है। मुझ वादी का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 5 .के अनुसार वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.1700 ऐयर भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 पर जबरन कब्जा करने की गरज से एवं वादी की फसल को जबरन काटने के लिए दिनांक 30.09.2016 को उक्त आराजी पर आ गये व फसल को काटने पर आमदा हो गये तो गांव के पंच पटेल लोगो ने प्रतिवादीगण को बडी मुश्किल से समझाया वरना प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने आ गये व अब भी कब्जा करने पर उतारू हैं। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 6. के अनुसार वादी दिनांक 30.09.2016 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी की उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमदा होने से व मौके पर लड़ाई झगड़ा करने से यह बिनाय दावा उत्पन्न हुआ। इसलिये वादी का यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 7. के अनुसार वादी को कानूनन अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे एवं राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज करावे। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 8.के अनुसार यह है कि वाद पत्र की घोषणा निम्न प्रकार फरमाई जावे। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 9. के अनुसार वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.70 ऐयर चाही 3 को प्रतिवादीगण 1 लगाया 3 की खातेदारी से हकाकर वादी के नाम सेपरेट राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती का इन्द्राज कर राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में अमल दामद कर खातेदारी प्रदान की जावे। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 10. के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.3900 है0 चाही 3 की राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड से वादी का नाम हटाया जाकर सेपरेट प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में दुरूस्ती इन्द्राजात की जाकर प्रतिवादी 1 लगायत 3 का नाम ही दर्ज किया जावें। वादी का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी कोई कब्जा काश्त में रही है। जिसमें वाद पत्र के मद नं0 11.के अनुसार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादी की कब्जे एवं काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.17 ऐयर में किसी प्रकार से मजामहत व किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न स्वयं करें ना ही प्रतिवादीगण अपने व्यक्तियों से करावें। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर जवाब दावा पेश किया गया जो इस प्रकार हैः–

1. यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 स्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 2 स्वीकार है।
3. यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार है।
4. यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 4 स्वीकार है।

6. यह है कि वादी पत्र का मद नम्बर 8, 9, 10, 11, 12 स्वीकार है।

7. यह है कि वाद पत्र का मद नम्बर 13 से 18 कानूनी है, जवाब का मोहताज नहीं है।

विशेष विवरण :–

यह कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.70 ऐयर चाही 3 को हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी से हटाकर वादी के नाम सेपरेट राजस्व रिकोर्ड में दुरस्ती का इन्द्राज कर राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में अमल दरामद कर खातेदारी प्रदान की जावे तो हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति नहीं है तथा आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.3900 है0 चाही 3 की राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड से वादी का नाम हटाया जाकर सेपरेट प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज की जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का नाम दर्ज किया जावे तो वादी को कोई आपत्ति नहीं है।वकील वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई तथा उभय पक्षकारान ने वाद के निस्तारण हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया। हमने वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व साक्ष्य का अध्ययन किया । उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड बाबत् पेश दावे के अन्तर्गत आराजी खं0 नं0 1891 रकबा 03900 एयर ,वाके ग्राम सूरवाल में से वादी का नाम हटवाकर प्रतिवादी 1 लगायत 3 का नाम दर्ज कराने व ख0नं0 1890 रकबा 0.1700 एयर वाके ग्राम सूरवाल में से प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर वादी का नाम सेपरेट राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती इन्द्राज कर राजस्व रेवेन्यू रिकोर्ड में अमल दरामद कर खातेदारी प्रदान की जाने बाबत प्रस्तुत वाद व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति यथा– जमाबन्दी सम्वत् 2070–73, प्रस्तुत जवाब दावा एव राजीनामा का अवलोकन व मनन किया गया।

अवलोकन व मनन पश्चात् न्यायालय इस विनिश्चयन पर पहुंचा है कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रारम्भ से (From the beginng) राजस्व रिकार्डस (जमाबन्दी) की निरन्तरता (The chain of revenue Records) प्रस्तुत नही किए है,जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित खसरा नम्बर का किस–किस स्तर पर कैसे हस्तान्तरण होकर संलग्न जमाबन्दी (खतौनी) संवत् 2070–73 तक हुए इन्द्राजात की स्थिति आयी। दौराने बहस यह तथ्य भी सामने आये है कि उक्त भूमि के दावे से सम्बन्धित राजस्व रिकार्डस की कमी है। इस आधार पर उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व वादी का वाद पत्र ठोस साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **16.04.2018** को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद मियाद गुजरने दाखिल दफतर हो।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर